रजिस्टर्ड/सील्ड

उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2

संख्या-1193/2025/2059/22-2-2023-17(518)/2025

लखनऊ दिनांक: 26 सितम्बर, 2025

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला कारागार, अलीगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी नत्थू सिंह (बन्दी सं0-678/2019) पुत्र श्री यादराम, जो ग्राम-आलमपुर, थाना-सिकन्द्राराऊ, जनपद-हाथरस का निवासी है, जिन्हें सत्र परीक्षण संख्या-326/2005 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0-1, हाथरस, के दण्डादेश दिनांक 24.09.2019 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, बन्दी द्वारा दिनांक-27.10.2022 तक अपरिहार 05 वर्ष, 11 माह, 11 दिन तथा सपरिहार 06 वर्ष, 05 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है, सन्तोषजनक जेल आचरण के दृष्टिगत शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो, तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक जाती मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

सूर्य प्रकाश मिश्र

उप सचिव।

संख्या-1193/2025/2059(1)/22-2-2023 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक, कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ।
2- जिला मजिस्ट्रेट, हाथरस।
3- पुलिस अधीक्षक, हाथरस।
4- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, अलीगढ़।
5- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0।
7- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव

अनु सचिव।

http://shasanade

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।